परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर
सी–38, सादुलगंज, बीकानेर–334002

विषयः–Development of Emergency Landing Facility from Km 229+400 to km 234+400 (old km 194+600 to km 199+600) of Phaiodi -Jaisalmer section, of NH 11 (old NH-15 in the state of Rajasthan. Submission of Forest Proposal-reg.

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांकःएफ (115)एफ.सी.ए/उवसं/2019–20/251 दिनांकः 08.01.2020 एवं पत्रांकः 427 दिनांकः 15.01.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण की आप द्वारा पत्र क्रमांकः13089/1/2016/Air-Strip/6046 दिनांकः 24.12.2019 से प्रस्तुत प्रतियों का आवलोकन करने पर उनमें पायी गयी त्रुटियों के संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से अवगत करवाया गया व इस कार्यालय में दिनांक 19.01.2020 को आयोजित समन्वयन बैठक में भी आपके प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से अवगत करवाया गया था। इसके उपरान्त भी निम्नांकित कमियों की पूर्ति किये बगैर ही प्रस्ताव बार–बार इस कार्यालय को हस्तांतरित किया जाना अत्यन्त खेद जनक है :–

1. भारत सरकार को भेजी जाने वाली मूल पत्रावली में मूल जी.टी.शीट संलग्न नहीं की गयी है।
2. मूल पत्रावली व अन्य पत्रावलियो में जी.टी.शीट की संलग्न रंगीन छायाप्रति में मापनी (स्केल) गलत है।
3. पूर्व में प्रस्तुत इस प्रस्ताव की प्रतियों में जैसलमेर का वन क्षेत्र 0.27 हैक्टर क्षेत्रफल दशार्या गया था तथा अब 0.1503 हैक्टर दर्शाया जा रहा है एवं जोधपुर में 6.53 हैक्टर दर्शाया गया था, अब 6.6497 हैक्टर दर्शाया जा रहा है। किन्तु प्रस्ताव की चैनेजवार दूरी पूर्व की भांति 194.600 किमी. से 199.600 किमी के मध्य ही दर्शायी जा रहा है जिसमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं हुआ है कृपया इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
4. संलग्न जी.टी.शीट की प्रतियों में प्रस्तावित वनभूमि की, की गई मार्किंग परिशुद्ध नहीं है। अतः मापनी अनुसार परिशुद्ध मार्किंग करें।
5. सेगमेन्टवार एरिया कैलकुलेशन शीट में संशोधन अनुसार क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं किया गया है।
6. प्रस्तावित वनभूमि की संलग्न जी.पी.एस. कोर्डीनेट सूची में दायीं ओर एवं बायीं ओर के जी.पी.एस. कोंडीनेट का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया जिससे भ्रम उत्पन्न होता रहा है। अतः इस सूची को बायीं और दायीं ओर के अनुसार स्पष्ट सूची संलग्न करें।
7. संलग्न डी.जी.पी.एस मैप में मापनी (स्केल) नहीं दर्शायी गयी है। अतः मापनी दर्शावें।

उक्तानुसार अक्षेपो की पूर्ति कर प्रस्ताव की प्रतियॉ प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।